

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ-04-06-2022-1-उनसठ-आयुष.—मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 में बोर्ड को देय शुल्क निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए बोर्ड को देय फीस

क्र. (1)	विवरण (2)	फीस की दर (3)	नियम क्रमांक (4)
1	रजिस्ट्रीकरण शुल्क, धारा 24 एवं 27 के अधीन	10,000/-	नियम 29, 31, 32, 35
2	पंजीयन पुनरीक्षण/सत्यापन शुल्क	2000/-	32, 34
3	पुनरीक्षण/सत्यापन विलम्ब शुल्क	प्रतिवर्ष रु. 500/- अधिकतम रु. 3000/-	32
4	रजिस्ट्रीकरण विलम्ब शुल्क धारा 27 के अधीन	3,000/-	32
5	धारा 26 के अधीन अर्हता की अतिरिक्त प्रविष्टि के लिये शुल्क (प्रत्येक अतिरिक्त अर्हता हेतु पृथक्-पृथक्)	5,000/-	32(2)
6	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति शुल्क	5,000/-	32(4)
7	उपनाम या पते में परिवर्तन या अन्य परिवर्तन के लिये शुल्क	500/-	33
8	अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाने पर बोर्ड में पंजीयन शुल्क.	12,000/-	32
9	अन्य राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क	2,000/- (वैधता तीन माह)	
10	राज्य रजिस्टर की साफ्ट सूची शुल्क	5,000/-	34
11	बोर्ड से पंजीकृत भारत से बाहर चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु पंजीयन सत्यापन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क.	10,000/-	नवीन कंडिका

No. F. 04-06-2022-1-LIX-Ayush.—In exercise of the powers conferred by clause of Section 42 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsayi Rule, 1973 following Fee are notified for registration and other matters:—

Fee payable to the Board for Registration and other matters

S. No. (1)	Particulars (2)	Rate of Fee (3)	Rules No. (4)
01	Registration fee section under 24 and 27	10,000/-	29, 31, 32, 35
02	Registration Renewal/Revision/Verification Fee	2000/-	32, 34
03	Registration Revision/Renewal/Verification Late Fee	500/- Per Year 3,000/- Maximum	32
04	Late fee of registration under section 27	3,000/-	32
05	Fee for entry of Additional Qualification under section 26 (for each additional Qualification).	5,000/-	32(2)
06	Fee for Second Copy/Duplicate Copy of registration	5,000/-	32(4)
07	Fee for change of surname or address or other change	500/-	33
08	Registration Fee in the Board on bringing no objection certificate from other state (For other State Candidate).	12,000/-	32
09	Fee for No Objection Certificate (NOC) for registration in other states.	2,000/- (For 3 Month Validity)	
10	Fee for Softcopy of list of State Register	5,000/-	34
11	Registration fee in the Board on bringing no objection certificate from other state (For other State Candidate).	10,000/-	32

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.